झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

"अधिसूचना"

सं. 3/अ0क्षे0स्था0 (नियमावली) –59/2015 ...1745.../रा0 रॉंची/ दिनांक: 24-04-18

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य के कार्य विभागों के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए झारखण्ड लेखा संवर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

   (i) यह नियमावली **"झारखण्ड लेखा लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली 2018"** कहलाएगी।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **परिभाषाएँ :–**

   (i) **राज्य से अभिप्रेत है :–** झारखण्ड राज्य

   (ii) **राज्य सरकार से अभिप्रेत है :–** झारखण्ड सरकार

   (iii) **राज्यपाल से अभिप्रेत है :–** झारखण्ड के राज्यपाल

   (iv) **विभाग से अभिप्रेत है :–** झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली के द्वारा यथा निर्धारित कार्य विभाग (पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग,जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा ऊर्जा विभाग)

   (v) **विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है :–**झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 21 के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित पदाधिकारी/प्राधिकार एवं समय–समय पर सरकार द्वारा घोषित विभागाध्यक्ष।

   (vi) **नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है :–** प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

   (vii) **सदस्य या सेवा से अभिप्रेत है :–**झारखण्ड कार्य विभाग के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखा लिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

   (viii) **भर्त्ती वर्ष से अभिप्रेत है :–**वह कैलेण्डर वर्ष जिसमें नियुक्ति की गई है। (1ली जनवरी से 31 दिसम्बर)

   (ix) **परीक्ष्यमान :–**परीक्ष्यमान से तात्पर्य वह सरकारी सेवक जो झारखण्ड कार्य विभाग यथा पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं

स्वच्छता विभाग, ऊर्जा विभाग तथा अन्य विभाग जिसे सरकार द्वारा कार्य विभाग के रूप में घोषित किया गया हो, के अन्तर्गत लेखा लिपिकीय सेवा सम्वर्ग के मौलिक रिक्ति में या उसके विरूद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित हो।

(x) **वरीयता सूची** :–लेखा लिपिक की वरीयता सूची, जो नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से संधारित हो या उसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो।

(xi) **नियंत्री पदाधिकारी से अभिप्रेत है** :–सम्बद्ध कार्यालयों के लिए घोषित नियंत्री पदाधिकारी।

3. **संवर्गीय संरचना** :–

(क) झारखण्ड सरकार के विभिन्न कार्य विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लिपिकीय लेखा सम्वर्ग में निम्न कोटि के पद होंगे :–

क्र.	कोटि / पदनाम	अपुनरीक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान	सेवा समूह	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा)	PB-I, 5200-20200 GP-1900/-	19900-63200 Level-2	समूह 'ग'	अराजपत्रित	सीधी भर्त्ती शत प्रतिशत
2	उच्चवर्गीय लिपिक (लेखा)	PB-I, 5200-20200 GP-2400/-	25500-81100 Level-4	समूह 'ग'	अराजपत्रित	प्रोन्नति द्वारा शत प्रतिशत
3	लेखापाल	PB-II, 9300-34800 GP-4200/-	35400-112400 Level-6	समूह 'ख'	अराजपत्रित	प्रोन्नति द्वारा शत प्रतिशत
4	लेखा पदाधिकारी	PB-II, 9300-34800 GP-4800/-	47600-151100 Level-8	समूह 'ख'	राजपत्रित	प्रोन्नति द्वारा शत प्रतिशत

<u>नोटः</u>– वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2388/वि0, दिनांक 08.07.2014 द्वारा लिए गए निर्णय यथावत् रहेंगे तथा 09.07.2004 तक नियुक्त कनीय लेखा लिपिक/लेखा लिपिक/वरीय लेखा लिपिक को उच्चवर्गीय लिपिक (लेखा) पदनामित किया जाता है एवं इनके मामले में उच्चवर्गीय लिपिक (लेखा) का पद मूल कोटि का पद माना जायेगा।

(ख) सम्वर्ग का अधिकृत संख्या बल :–

(i) लेखा लिपिक का अधिकृत बल वही होगा, जो किसी कार्य विभाग के अधीन किसी क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा लिपिकीय कार्यों के लिए वर्त्तमान अधिकृत बल है या इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार समय–समय पर पद स्वीकृत किया जाय।

(ii) संख्या बल की समीक्षा कार्य के आधार पर प्रत्येक तीन वर्षों पर अनिवार्यतः की जायेगी और सरकार आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोत्तरी कर सकेगी। आवश्यकतानुसार संबंधित कार्य विभाग के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय के लिए लेखा लिपिकीय सम्वर्ग के संख्या बल का निर्धारण कर सकेगी।

(iii) सरकार किसी पद को आपूरित रख सकेगी एवं किसी पद को समाप्त कर सकेगी।

(ग) कार्य विभाग (पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा ऊर्जा विभाग) के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्वीकृत सम्वर्ग बल में कोटिवार पदों की अनुमान्यता निम्न प्रकार निर्धारित होगी:–

(i) सम्वर्ग के सभी पद राज्य स्तरीय होंगे।

(ii) सम्वर्ग के स्वीकृत बल का 50 प्रतिशत निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा) LDC(Accounts) मूलकोटि के पद माने जायेंगे।

(iii) अधिकृत बल के 25 प्रतिशत उच्चवर्गीय लिपिक (लेखा) UDC(Accounts) के रूप में प्रथम प्रोन्नति के पद होंगे।

(iv) अधिकृत बल के 15 प्रतिशत पद लेखापाल (Accountant) के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।

(v) अधिकृत बल के 10 प्रतिशत पद लेखा पदाधिकारी (Account Officer) के रूप में प्रोन्नति के पद होंगे।

अध्याय–2

4. भर्त्ती का स्त्रोत :–

(क) सम्वर्ग के मूल पद पर नियुक्ति सीधी भर्त्ती द्वारा

(ख) प्रत्येक वर्ष 1ली अगस्त को आधार तिथि मानकर नियुक्ति हेतु रिक्तियों की गणना {कार्य विभाग के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (जहाँ लेखा लिपिक सम्वर्ग का पद सृजित हो)} द्वारा की जायेगी।

(ग) कार्य विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए समेकित रूप से लेखा लिपिकीय पदों की भर्त्ती अधियाचित रिक्ति के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधासूची के आधार पर आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अधियाचित रिक्ति के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की सूची विभिन्न कार्य विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को समर्पित करेंगे। तत्पश्चात् उन चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन सम्बद्ध विभागीय सचिव द्वारा कार्य विभाग के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए करेंगे।

(घ) आरक्षण :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा सीधी भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण के निमित्त समय–समय पर निर्गत संकल्प / अनुदेशों / रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा।

5. **शैक्षणिक योग्यताएँ :–**

(i) अनिवार्य योग्यता :– नई नियुक्ति के मामले में सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा (गणित अथवा एकाउन्ट विषय) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा, जब वह :–

(क) भारत संघ का नागरिक हो एवं

(ख) सत्चरित्र हो

(iii) उम्मीदवार को जिस वर्ष आयोग द्वारा सीधी भर्त्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाएँ :–

(क) न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित उम्र सीमा के अनुरूप होगी।

टिप्पणी :– (क) केवल वही जन्म तिथि स्वीकार की जायेगी जो मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण–पत्र या किसी समकक्ष प्रमाण–पत्र में अंकित है तथा बाद में परिवर्त्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जायेगा और न ही इसकी अनुमति दी जायेगी।

(ख) जो व्यक्ति सरकारी सेवा में हो, वे सीधी भर्त्ती के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे, बशर्त्ते कि वे अन्य अहर्त्ताओं को पूरी करते हों तथा सम्बद्ध विभाग से उन्हे इस हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त हों तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सुसंगत परिपत्रों द्वारा इस हेतु विनिर्दिष्ट उम्र सीमा के भीतर हो।

(iv) चयन प्रक्रिया :– झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग सामान्य अंग्रेजी (मैट्रिक स्तर), सामान्य हिन्दी (मैट्रिक स्तर), सामान्य ज्ञान एवं गणित (मैट्रिक स्तर), विषयों में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और चयनित अभ्यर्थी की मेधा सूची राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायेगा।

नोटः– परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(v) पैनल की वैद्यता :– चयनित उम्मीदवारों के पैनल की वैद्यता आयोग से प्राप्ति की तिथि से आगामी एक वर्ष तक वैद्य रहेगी।

(vi) पैनल प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

6. **परिवीक्षा की अवधि एवं प्रशिक्षण** :– नियुक्त कर्मी, नियुक्ति होने की तिथि से अगले दो वर्ष तक परिवीक्षा अवधि होगी। उक्त अवधि में लेखा अभिलेखों का संधारण एवं कम्प्यूटर टंकण आदि का परिबोध प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण की यह अवधि न्यूनतम तीन माह होगी तथा इसका

संचालन एवं व्यवस्था नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर से सम्बन्धित कार्य विभाग से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित जिला/प्रमंडलीय स्तर पर की जायेगी।

7. **सम्पुष्टि** :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं राजस्व पर्षद द्वारा संचालित लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के पश्चात् उनकी सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर सम्बद्ध विभाग के कार्यालय प्रधान अर्थात् प्रधान सचिव/सचिव द्वारा सेवा सम्पुष्टि की जायेगी।

8. **वेतनवृद्धि** :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतनवृद्धि देय होगी। किन्तु बकाया वेतन देय नहीं होगी।

9. **वरीयता** :– वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा संसूचित मेधाक्रम के अनुसार होगी। इस सम्वर्ग में पूर्व से कार्यरत लेखा लिपिक की वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारम्भिक अक्षर के आधार पर निर्धारित होगी।

नोट:– नियमावली प्रवृत्त होने के उपरान्त इस सम्वर्ग में कार्यरत लेखा लिपिक की वरीयता का निर्धारण उक्त विधि से सम्बन्धित कार्य विभाग के मुख्यालय स्तर पर होगी न कि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर।

अध्याय–3

10. **प्रोन्नति** :–

(i) संवर्गीय संरचना में निम्नतर अर्थात् मूल कोटि से अगले उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता सह योग्यता (Seniority-cum-Merit) पर आधारित होगी।

(ii) प्रोन्नति संवर्गीय संरचना में उल्लिखित कोटि में अर्थात् निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा) से उच्चवर्गीय लिपिक (लेखा), उच्चवर्गीय लिपिक (लेखा) से लेखापाल, लेखापाल से लेखा पदाधिकारी पद शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

(iii) प्रोन्नति हेतु पदों का कोटिवार (Gradewise) कर्णांकरण केन्द्रीकृत रूप से सम्बद्ध कार्य विभाग के लिए अलग–अलग किया जायेगा न कि सम्बद्ध कार्य विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर।

(iv) प्रोन्नति के निमित सम्बद्ध कार्य विभाग के स्तर पर समेकित रूप से वरीयता सूची संधारित होगी एवं उक्त सूची से प्रोन्नति दी जायेगी।

(v) प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता एतद् विषय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार होगी।

(vi) प्रोन्नति हेतु आरक्षण प्रावधान प्रभावी रहेंगे। इस सम्बन्ध में समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों को नियमावली में समावेशित किये बगैर भी अक्षरसः प्रभावी होंगे।

(vii) प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रोन्नति के निमित निर्धारित कालावधि इस संवर्ग के मामले में अक्षरसः प्रभावी होंगे।

(viii) किसी भी पद पर प्रोन्नति के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं राजस्व पर्षद द्वारा संचालित लेखा परीक्षा की उत्तीर्णता आवश्यक होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर किसी भी परिस्थिति में प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होगा।

11. पदस्थापन / स्थानान्तरण :– नियंत्री पदाधिकारी पदस्थापन / स्थानान्तरण के लिए अधिकृत होंगे।

अध्याय–4

12. संशोधन की शक्ति :–

(1) राज्य सरकार समय–समय पर इस नियमावली में आवश्यक संशोधन कर सकेगी।

(2) इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत लेखा लिपिक वर्त्तमान नियमावली के अंग होंगे तथा इससे आच्छादित होंगे।

13. अनुशासनिक कार्रवाई :–

अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य में प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के तहत् नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

14. विशेष उपबंध :– इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकार नियुक्ति आदेश में विशेष उपबंध एवं शर्त्तें अधिरोपित कर सकेगा, यदि ऐसा करना समीचीन है।

15. उपचार :– इस नियमावली का अनुपालन करने के क्रम में होनेवाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर आदेश जारी कर सकेगी।

16. प्रकीर्ण :–

(क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की होगी।

(ख) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालिका आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

17. निरसन एवं व्यावृत्ति :–

इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व इस नियमावली के विषयों पर निर्गत कोई नियम / विनिमय / अनुदेश / आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी। मानो यह नियमावली उन दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

18. **प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संलेख ज्ञापांक–1546, दिनांक–09.04.2018 के क्रम में दिनांक–18.04.2018 की बैठक के मद सं0–03 में दी गयी है।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

24/4/18

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–3/अ0क्षे0स्था0 (नियमावली) –59/2015 1745/ रॉंची, दिनांक – 24-04-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–3/अ0क्षे0स्था0 (नियमावली) –59/2015 1745/ रॉंची, दिनांक – 24-04-18

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–3/अ0क्षे0स्था0 (नियमावली) –59/2015 1745/ रॉंची, दिनांक – 24-04-18

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभागाध्यक्ष/संबंधित नियंत्री पदाधिकारी/निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी कार्य विभागों के अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/18
सरकार के संयुक्त सचिव।